अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय, उपायुक्त — सह — जिला दण्डाधिकारी, रॉंची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 123/2023

03
26.12.2023

राज्य,

बनाम

विजय नायक, पिता— कंतु नायक, निवासी — बसीला, थाना— नगड़ी, जिला— रॉंची (झारखण्ड) ...... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची के पत्रांक 1290/डी०सी०बी० दिनांक 30.09.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी विजय नायक, पिता— कंतु नायक, निवासी — बसीला, थाना— नगड़ी, जिला— रॉंची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा—3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:—

1. ओरमॉंझी थाना काड सं०— 200/21 दिनांक— 12.12.2021 धारा— 25(1—बी०) ए०/26/35 आर्म्स एक्ट
2. सिकिदिरी थाना कांड सं०— 39/21, दिनांक 06.12.2021 धारा 392 भा0द0वि0
3. नगड़ी थाना सन्हा सं0—17/23 दिनांक—09.07.2023
4. नगड़ी थाना सन्हा सं0—19/23 दिनांक—18.07.2023
5. नगड़ी थाना सनहा सं0—05/23 दिनांक—12.08.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक मु०, द्वितीय, रॉंची के कार्यालय का ज्ञापांक—1232/उपा०, दिनांक—23.09.2023 अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि विजय नायक, पिता— कंतु नायक, निवासी — बसीला, थाना— नगड़ी, जिला— रॉंची एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। ये वर्तमान समय में जेल से बाहर है। उनके द्वारा वर्तमान समय में स्वयं तथा अपने गुर्गे के माध्यम से नगड़ी थानान्तर्गत आम जनता से जमीन

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

संबंधी मामले के निष्पादन हेतु रंगदारी की मांग की जा रही है। नगड़ी थाना के आम लोग सक्रिय एवं कुख्यात अपराधी विजय नायक के नाम से भयाक्रान्त है तथा आम जनता गुप्त रुप से रंगदारी की राशि देने के लिए विवश होते है परन्तु प्रत्यक्ष रुप से बोलने की हिम्मत अथवा प्राथमिकी दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पाते है। कुख्यात अपराधकर्मी विजय नायक अपने आवासन को काफी गोपनीय तरीके से रखता है तथा अपने ठिकाने में स्थानीय परिवर्तन करते रहते है। विपक्षी के कार्यो से लोक प्रशान्ति प्रभावित हो रही है तथा भविष्य मे आम जन जीवन के भी प्रभावित होने की संभावना है। विपक्षी के अवैध गतिविधियों एवं कार्यो के कारण आम जनता विशेष कर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सम्पति का भय, खतरा एवं हानि पहुँच रही है तथा भविष्य में लोक सम्पति को हानि पहुँच सकती है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार – नगडी थाना कांड सं० 17/2023, 19/2023 एवं 05/2023 मे विपक्षी विजय नायक का नाम दर्ज नही है। दिनांक 09.07.2023, 18.07.2023 एवं 14.09.2023 को विजय नायक पर रंगदारी को आरोप लगाया गया है, जो सरासर गलत है। सिकिदिरी थाना काण्ड संख्या–39/2021 वर्त्तमान में कोर्ट में चल रहा है। विपक्षी के उपर जनता या आम पब्लिक को डराने धमकाने का जो आरोप मेरे उपर लगाया गया, बिल्कुल गलत है। विपक्षी के उपर छात्र समस्या, भूमि विवाद, जमीन कारोबारी, उग्रवाद, महिला अत्याचार इत्यादि का जो आरोप लगाया है, वह भी गलत है। विपक्षी के खिलाफ नगड़ी थाना मे कोई अपराधिक मामला दर्ज नही है। विपक्षी असामाजिक तत्व नहीं है, ना उनसे कोई गतिविधियों से लोक प्रशान्ति प्रभावित हो रही है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी स्वयं तथा अपने गुर्गे के माध्यम से नगड़ी थानान्तर्गत आम जनता से जमीन संबंधी मामले के निष्पादन हेतु रंगदारी की मांग की जा रही है। नगड़ी थाना के आम लोग सक्रिय एवं कुख्यात अपराधी विजय नायक के नाम से भयाक्रान्त है। उपरोक्त तथ्य विपक्षी के सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण रखने के निमित अपराधकर्मी विजय नायक, पिता– कंतु नायक, निवासी –बसीला, थाना– नगड़ी, जिला– रॉंची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

,अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी विजय नायक, पिता– कंतु नायक, निवासी – बसीला, थाना– नगड़ी, जिला– रॉंची को दिनांक 29.12.2023 से दिनांक 28.03.2024 तक की अवधि के लिए नगड़ी थाना, रॉंची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, नगड़ी थाना के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 28.12.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 29.12.2023 से दिनांक 28.03.2024 तक प्रत्येक रविवार नगड़ी थाना, रॉंची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी विजय नायक, पिता– कंतु नायक, निवासी –बसीला, थाना– नगड़ी, जिला– रॉंची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची इस आदेश की एक प्रति विजय नायक, पिता– कंतु नायक, निवासी – बसीला, थाना– नगड़ी, जिला– रॉंची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
रॉंची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:07:54 -08:00
Location: 192.168.1.4

जिला दण्डाधिकारी
रॉंची